

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/मीडिया/2021/ 4893
प्रति,

भोपाल, दिनांक— 7/09/2021

कलेक्टर,

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:—शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किये जाने संबंधी।

संदर्भ:—राशिके का पत्र क्रमांक, राशिके/मीडिया/2021/4685 भोपाल, दिनांक—31/08/2021

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में दिनांक 09/09/2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना निर्देशित किया गया था। उक्त तिथि में परिवर्तन करते हुए नवीन तिथि बुधवार, 22 सितम्बर 2021 निर्धारित की जाती है।

शाला प्रबंधन समिति की संरचना, समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं शिक्षक/अन्य सदस्यों का चयन, "संलग्न परिशिष्ट-1" अनुसार होगा। शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में, प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार वर्गवार नामांकन की जानकारी तैयार कर ली जाए।

दिनांक 22/09/2021 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु समय सारिणी निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	गतिविधि	समय
01	शाला के प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करना	10:00 से 10:30
02	वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों/अभिभावकों की सदस्य संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना	10:30 से 11:00
03	पुरुष एवं महिला पालक/अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन	11:00 से 11:30
04	शिक्षक/अन्य सदस्यों का चयन	11:30 से 11:40
05	चयनित पुरुष एवं महिला पालक/अभिभावक सदस्यों के एवं शिक्षक/अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना।	11:40 से 12:00
मध्याह्न		
06	अध्यक्ष का निर्वाचन	02:00 से 02:20
07	उपाध्यक्ष का निर्वाचन	02:20 से 02:40
08	समिति के गठन की सूचना	03:00 बजे

नोट 1—उपरोक्तानुसार गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल, शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए मान्य होगा।


नोट 2—गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 01 अनुसार होगी।

नोट 3—शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद/पंच महोदया के नामांकन हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 06 अनुसार प्रारूप पर दिनांक 14/09/2021 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजा जावेगा।

नोट 4— सचिव, शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट-11 पर भरकर दिनांक 23/09/2021 तक संबंधित जन शिक्षक को सौंपेंगे। जन शिक्षक द्वारा इसका संकलन कर दिनांक-24/09/2021 तक परिशिष्ट-12 पर भरकर विकासखंड स्त्रोत केन्द्र पर जमा किया जावेगा। बीआरसीसी द्वारा, दिनांक-29 सितम्बर 2021 तक परिशिष्ट-13 अनुसार, एक्सेल शीट पर एंट्री करवा कर जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जावेगा। जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा जिले की एकजाई जानकारी परिशिष्ट-14 अनुसार, राज्य शिक्षा केन्द्र को 05 अक्टूबर 2021 तक प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार शाला प्रबंधन समिति गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 एवं 6 से 12 तक संचालित एकीकृत शालाओं में शाला प्रबंधन/शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों (SMDC) का गठन, पृथक से जारी निर्देशानुसार किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी जिज्ञासा समाधान हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक- 0755-2768395 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।


संलग्न:—उपरोक्तानुसार


(धनराजू एस) 07/09/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ. क्र./राशिके/मीडिया/2021/4894
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक- 7/09/2021

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, दूसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग, 35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त, (राजस्व) संभाग समस्त, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय शिक्षा अधिकारी, लोकशिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, प्रगत शैक्षिक संस्थान/शा.शिक्षा महाविद्यालय, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।
14. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।
16. सहायक जिला परियोजना समन्वयक (मोबिलाईजेशन), जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।


संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र



शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में तैयार की जाने वाली जानकारी

(शाला नामांकन के आधार पर इस प्रपत्रानुसार जानकारी तैयार कर शाला के प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करते समय निम्न जानकारी भी प्रदान की जाए।)

1. शाला का नाम - विकासखंड -
 डाइस कोड - जिला -

2. वर्गवार नामांकन की स्थिति
 प्राथमिक शाला

कक्षा	1		2		3		4		5		कुल	
	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य
संख्या												

माध्यमिक शाला

कक्षा	6			7			8		
	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य
संख्या									

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संयुक्त माध्यमिक शाला

कक्षा	1		2		3		4		5		6		7		8		कुल
	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य	वंचित	कमजोर	अन्य		
संख्या																	

3. शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का विवरण

महिला		पुरुष	कुल

4. शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण

वर्ग	वंचित	कमजोर	अन्य	कुल
संख्या				

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

टंकित प्रतिलिपि

क्रमांक 413]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019-आश्विन 12, शक 1941

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्रमांक, एफ.44-23/2015/बीस-2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(2) (क) समिति का गठन :-

- (एक) प्रत्येक स्कूल की समिति में 18 सदस्य होंगे। उनमें से कम से कम तीन चौथाई, स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों, या अभिभावकों में से समिति के सदस्य होंगे। वंचित समूह और कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के पालकों या अभिभावकों का समिति में प्रतिनिधित्व कुल नामांकित बच्चों के अनुपात में होगा।
- (दो) दो सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। प्रधान शिक्षक या स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक, समिति के सदस्य होंगी। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (तीन) समिति के सदस्यों में से 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
- (चार) समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इनका निर्वाचन समिति के निर्वाचित पालकों या अभिभावकों में से किया जाएगा:
- परंतु यदि अध्यक्ष महिला नहीं है, तो उपाध्यक्ष कोई महिला होगी।

(ख) समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी :-

- (एक) समिति के 18 सदस्यों में से 14 सदस्य, जिनमें सात महिला सदस्य सम्मिलित हैं, स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से होंगे। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में समिति का सदस्य-सचिव, उप-नियम (2) (क) के उपबंधों के अनुसार स्कूल में नामांकित वंचित समूह और कमजोर वर्ग से संबंधित बालकों के पालकों या अभिभावकों के 14 सदस्यों को आनुपातिक रूप से नियत करेगा तथा समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पालकों/अभिभावकों की संख्या का वर्गीकरण स्कूल के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित करेगा:-

वर्ग	पालक (पुरुष)	पालक (महिला)	कुल
वंचित समूह			
कमजोर वर्ग			
अन्य			

परंतु यदि स्कूल समेकित (कक्षा-1 से कक्षा-8) है, तो शाला प्रबंधन समिति के पालक सदस्यों में उसके प्राथमिक खंड (कक्षा-1 से कक्षा-5) और मिडिल खंड (कक्षा-6 से कक्षा-8) का समान प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाएगा। इस प्रकार समेकित स्कूल के प्राथमिक खंड के 7 सदस्यों और मिडिल खंड के 7 सदस्यों में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण पृथक-पृथक किया जाएगा।

(दो) समिति के शेष सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

(क) नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में उस वार्ड का पंच, जहां कि स्कूल अवस्थित है;

(ख) नगरीय क्षेत्रों में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच, जहां कि स्कूल अवस्थित है;

(ग) स्कूल का प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक, और

(घ) स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक।

(तीन) सदस्य-सचिव, प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् या जैसा कि आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देशित किया जाये, स्कूल में नामांकित बच्चों के सभी पालकों या अभिभावकों की बैठक बुलाएगा। तब वह पालकों या अभिभावकों में से समिति के 14 सदस्यों, जिनमें से सात महिला सदस्य सम्मिलित हैं, के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। सदस्य-सचिव, उन बच्चों के, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ग्रेड अर्जित किया है, महिला पालकों/अभिभावकों में से समिति की सात महिला सदस्यों के पर्ची द्वारा नाम निकालेगा। इसी प्रकार, वह उन बच्चों के, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ग्रेड अर्जित किया है, पुरुष पालकों/अभिभावकों में से समिति के सात पुरुष सदस्यों के पर्ची द्वारा नाम निकालेगा। पुरुष एवं महिला सदस्यों में से वंचित समूह और कमजोर वर्ग का अनुपात उप-नियम (2) (ख) (एक) के अनुसार होगा:

परन्तु किसी बच्चों के महिला पालक/अभिभावक का नाम महिला सदस्य के रूप से सम्मिलित होने पर उस बच्चे के पुरुष पालक/अभिभावक को पुरुष सदस्यों के चयन में विचार में नहीं लिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि ए+ग्रेड के बच्चों की कुल संख्या 7 से कम है तो सदस्यों का चयन ए+ग्रेड से एक ग्रेड नीचे अर्जित करने वाले बच्चों के पालकों/अभिभावकों में से किया जाएगा।

(चार) इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात्, सदस्य-सचिव, सदस्य पालकों या अभिभावकों में से अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। वह इच्छुक अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त करेगा और निर्वाचन संचालित करेगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात्, सदस्य-सचिव, उप-नियम (2) (क) (चार) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पालकों या अभिभावकों में से उपाध्यक्ष का निर्वाचन का संचालित करेगा: परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि, पार्षद/पंच तथा शिक्षक जिनमें प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक सम्मिलित हैं, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह उपसचिव.



शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -- 2009 दिनांक 01 अप्रैल 2010 से लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संबंधित शालाओं में दो वर्षीय कार्यकाल हेतु शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया गया था। इस तारतम्य में, प्रपत्र-“ब” पर संलग्न, मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक-413 दिनांक- 04 अक्टूबर 2019 में किये गये संशोधन अनुसार, प्रदेश की सभी शासकीय तथा शासन से अनुदान प्राप्त, समस्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में, शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है -

1. शाला प्रबंधन समिति की संरचना :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम- 2011, तथा राजपत्र क्रमांक-413 दिनांक- 04 अक्टूबर 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार शाला प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार रखी गई है :-

समस्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में, शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 18 सदस्यीय होगी। इसमें न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य, शाला में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से होंगे। इन सदस्यों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों या अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कुल नामांकन में उनके प्रतिशत के अनुपात में होगा। दो सदस्य स्थानीय प्राधिकारी (स्थानीय निकाय यथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। नियम में समिति के गठन के लिए जो संशोधन 04 अक्टूबर 2019 को किया गया है वह प्रपत्र-“ब” पर संलग्न है।

2. शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया:-

शाला में 18 सदस्यीय समिति में से 14 सदस्य पालकों/अभिभावकों में से होंगे। इन सदस्यों के चयन की प्रक्रिया परिशिष्ट -1 में उल्लेखित अनुसार होगी।

(i) वंचित समूह/कमजोर वर्ग के पालकों के प्रतिनिधित्व की गणना

दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में किए गये संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समिति में पालक/अभिभावक सदस्यों में, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के पालक/अभिभावक का प्रतिनिधित्व, शाला में बच्चों के कुल नामांकन में, इस समूह/वर्ग के नामांकन के प्रतिशत के अनुपात में होगा। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल होने वाले पालक/बच्चों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट “1-अ” अनुसार है।

संशोधित नियम 2011 में किए गये प्रावधान के अनुसार समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व यह गणना किया जाना आवश्यक होगा कि 14 पालक/अभिभावक सदस्यों में, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के पालकों/अभिभावकों की संख्या क्या होगी। अतः शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पालकों/अभिभावकों के वर्गीकरण की गणना प्रपत्र-“अ” अनुसार की जाएगी। नियम में किए गये प्रावधान के अनुसार समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। अतः सदस्यों की संख्या की गणना के बाद इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या की गणना की जाएगी। अतः शाला के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक जो समिति के सदस्य सचिव हैं, वह, यह गणना उपरोक्त प्रावधान अनुसार करेंगे।

यह गणना अग्र पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी -

यदि किसी शाला में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या 100 है और इसमें वंचित समूह की संख्या 40, कमजोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20 और अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शाला में समूह/वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात अग्र पृष्ठानुसार होगा -

वंचित समूह ----- 40 प्रतिशत
कमजोर वर्ग ----- 20 प्रतिशत
अन्य वर्ग ----- 40 प्रतिशत

नियम में किए गये प्रावधान के अनुसार समिति में 14 पालक/अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह/वर्ग का प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। अतः इस प्रकार 14 पालक/अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह/वर्ग की संख्या निम्नानुसार होगी -

वंचित समूह ----- 6
कमजोर वर्ग ----- 3
अन्य वर्ग ----- 5

(उपरोक्त संख्याओं की गणना करते समय दशमलव 5 (5) से अधिक की संख्या को पूर्णांक माना गया है। चूंकि सर्वप्रथम वंचित समूह की गणना की गई है, अतः यह पूर्णांक इस समूह की गणना में शामिल किया गया है। कुल सदस्यों की संख्या 14 निर्धारित है अतः अन्य वर्ग की सदस्यों की संख्या की गणना के समय पूर्णांक के मान को विचार में नहीं लिया गया है।)

नियम में किए गये प्रावधान के अनुसार समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगी। अतः सदस्यों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या निम्नानुसार होगी -

वर्ग	पालक (पुरुष)	पालक (महिला)	कुल
वंचित समूह	3	3	6
कमजोर वर्ग	1	2	3
अन्य	3	2	5
कुल	7	7	14

(समिति में पुरुषों और महिलाओं की संख्या की गणना के लिए पूर्णांक का प्रयोग उपरोक्त अनुसार ही किया गया है।)

इस प्रकार समिति में पालक/अभिभावक सदस्यों की कुल संख्या 14 में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के पालकों/अभिभावकों का वर्गीकरण किए जाने के बाद, सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण की जानकारी शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यह गणना 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए की जाए।

(ii) पुरुष एवं महिला पालक/अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन

संशोधित नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा परिशिष्ट-2 में दिए गये प्रारूप अनुसार समिति में महिला एवं पुरुष सदस्यों एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए शाला में नामांकित बच्चों के सभी माता-पिता/अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार आयोजित बैठक में समिति के 14 सदस्यों में से सर्वप्रथम 7 महिला सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

सदस्य सचिव द्वारा, प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के, माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 6 से 8 तक के तथा कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से 8 तक के, उन बच्चों जिन्होंने गतवर्ष अर्थात् वर्ष 2020-21 में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया है, के महिला पालक/अभिभावकों में से 7 महिला सदस्यों के नाम लाटरी द्वारा निकाले जाएंगे। महिला सदस्यों का निर्वाचन, वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की संख्या के अनुसार होगा। अतः सर्वप्रथम 'ए' ग्रेड प्राप्त वंचित समूह के बच्चों की महिला पालक/अभिभावक के नाम लाटरी द्वारा निकाले जाएंगे। इसके बाद 'ए' ग्रेड प्राप्त कमजोर वर्ग के

बच्चों की महिला पालक/अभिभावक के नाम लाटरी द्वारा निकाले जाएंगे। तत्पश्चात 'ए' ग्रेड प्राप्त अन्य वर्ग के बच्चों की महिला पालक/अभिभावक के नाम लाटरी द्वारा निकाले जाएंगे।

महिला सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद इसी प्रक्रिया अनुसार 7 पुरुष पालक/अभिभावक सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन जिन बच्चों के महिला पालक/अभिभावक का निर्वाचन हो चुका है, उनके पुरुष पालक/अभिभावक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि 'ए' ग्रेड के बच्चों की संख्या किसी समूह/वर्ग में निर्धारित पालक/अभिभावक सदस्य संख्या से कम है तो उस स्थिति में 'ए' ग्रेड से एक ग्रेड नीचे के बच्चों के पालकों/अभिभावकों के नाम पर विचार किया जाएगा ताकि समिति में निर्वाचित सदस्यों का चयन हो सकें।

शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों को लिखित में निर्वाचन की सूचना दी जाएगी।

3. स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन :-

(क) जिस वार्ड में शाला स्थित है, उस वार्ड के ग्राम पंचायत के मा. पंच या नगरीय निकाय के मा. पार्षद पदेन सदस्य होंगे। शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, द्वारा संबंधित वार्ड के माननीय पंच/पार्षद को संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार शाला प्रबंधन समिति के सदस्य होने की सूचना दी जायेगी।

(ख) शाला प्रबंधन समिति में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच तथा नगरीय क्षेत्र की स्थिति में स्थानीय निकाय के माननीय मेयर/अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद सदस्य होंगी। इसके लिए शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 14/09/2021 तक परिशिष्ट-5 अनुसार, संबंधित सरपंच/मेयर/अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जायेगा।

(ग) स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष/सरपंच से संलग्न "परिशिष्ट 5-अ" अनुसार पार्षद/पंच के नामांकन की सूचना प्राप्त की जाये। यथासंभव प्रयास किये जाएं कि, यह नामांकन/मनोनयन 22/09/2021 तक शाला को प्राप्त हो जाये।

☆ जिन स्थानीय निकायों में वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद रिक्त हैं, उन स्थानों की शालाओं में बिन्दु-3 से संबंधित कार्यवाही उक्त पदों की विधि सम्मत पूर्ति उपरांत की जायेगी।

4. शिक्षक/अन्य सदस्यों का चयन :-

समिति में, शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव होंगे। शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक सदस्य होंगी। अतः शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा, शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका को संलग्न परिशिष्ट-6 द्वारा तत्संबंध में सूचित किया जायेगा।

यदि किसी शाला में महिला शिक्षक को पदस्थापना नहीं है, तो उक्त स्थान रिक्त रहेगा और महिला शिक्षक की पदस्थापना होने पर यह पद भरा जायेगा।

निर्वाचन की प्रक्रिया को जवाबदारी के साथ पूर्ण कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी जाएगी। किसी दूसरी शाला के शिक्षक, जन शिक्षक, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता डाइट, व्याख्याता प्रगत शैक्षिक संस्थान/शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अथवा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के कर्मचारी/अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

5. अध्यक्ष का निर्वाचन :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का नियम 2011 एवं संशोधित नियम 2014 में की गई व्यवस्था के अनुसार शाला प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चयन निम्नानुसार होगा-

1. शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।

[Handwritten signature]

- II. अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न परिशिष्ट-7 अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- III. यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव, निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखवाकर/चिन्हांकित कर, गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जायेगा।
- IV. सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- V. अध्यक्ष निर्वाचन घोषणा की सूचना संलग्न परिशिष्ट-8 अनुसार की जायेगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित अध्यक्ष को दी जायेगी और एक प्रति शाला के रिकार्ड में रखी जायेगी।
- VI. निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण, सदस्य सचिव द्वारा लिखा जायेगा और रिकार्ड के रूप में स्कूल में रखा जायेगा।

6. उपाध्यक्ष का निर्वाचन :-

संशोधित नियम 2011 नियम 12 (2) (क) (चार) में किए गए प्रावधान अनुसार शाला प्रबंधन समिति में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था है। इसके निर्वाचन की प्रक्रिया अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार ही होगी। नियम में किए गए प्रावधान अनुसार यदि अध्यक्ष का पद पर महिला का निर्वाचन नहीं हुआ है, तो उपाध्यक्ष के पद पर, महिला सदस्यों में से निर्वाचन किया जाएगा।

- I. शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।
- II. उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न "परिशिष्ट-9" अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- III. यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव, निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखवाकर/चिन्हांकित कर, गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जायेगा।
- IV. सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- V. उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित की सूचना संलग्न परिशिष्ट-10 अनुसार की जायेगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित उपाध्यक्ष को दी जायेगी और एक प्रति शाला के रिकार्ड में रखी जायेगी।
- VI. निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण, सदस्य सचिव द्वारा लिखा जायेगा और रिकार्ड के रूप में स्कूल में रखा जायेगा।

7. शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल :-

समिति का कार्यकाल दो साल का होगा।

8. समिति के गठन की सूचना :-

प्रत्येक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला, के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा, समिति के गठन की सूचना परिशिष्ट - 11 अनुसार जनशिक्षक को दी जायेगी। जनशिक्षक द्वारा जन शिक्षा केन्द्र की संकलित जानकारी परिशिष्ट -12 अनुसार में विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक को भेजी जायेगी।

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक द्वारा संलग्न परिशिष्ट-13 में विकासखण्ड की संकलित जानकारी जिला परियोजना समन्वयक को भेजी जायेगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा परिशिष्ट- 14 में जिले की संकलित जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जायेगी।

9. उपरोक्तानुसार नवीन शाला प्रबंधन समितियों का गठन पूर्ण होते ही, पूर्व गठित समितियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त होगा।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की जानकारी

(क). वंचित समूह

- 1 अनुसूचित जाति
- 2 अनुसूचित जनजाति
- 3 वन भूमि के पट्टाधारी परिवार
- 4 विमुक्त जाति
- 5 निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- 6 एचआईवी ग्रस्त या प्रभावित बच्चे

(ब). कमजोर वर्ग

- 1 बी.पी.एल. कार्ड/अंत्योदय कार्ड धारी
- 2 अनाथ बच्चे

शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- जिला-----

क्रमांक -

स्थान, दिनांक.....

प्रति,

समस्त पालक/अभिभावक,

आपको यह सूचना दी जाती है कि शाला की शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक ग्राम/वार्ड केप्राथमिक शाला/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला के परिसर में, दिनांक 22/09/2021 को प्रातः 10:00 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। बैठक के लिए कार्यसूची निम्नानुसार है :-

1. शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों के चयन संबंधी।
2. शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी।
3. शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष चुनाव संबंधी।

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम् शिक्षक द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों के पालकों/अभिभावकों को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित 22 सितम्बर 2021 के पूर्व लिखा जाएगा एवं उचित माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। एक प्रति शाला रिकार्ड में संधारित की जायेगी।)

(Handwritten signature)

शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला

ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- ज़िला-----

क्रमांक

स्थान, दिनांक.....

प्रति,

सुश्री/श्री

माता-पिता/अभिभावक,

विषय :-वार्ड की प्राथमिक/माध्यमिक शाला/ कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य निर्वाचन होने संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 के उपनियमों के तहत कुल नामांकन के अनुपात में, वर्गवार चयनित माता/ पिता/अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे।

उक्तानुसार कक्षा/प्रवर्ग के विद्यार्थी के माता/पिता/अभिभावक के रूप में आप शाला की प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्य हैं। आप के सक्रिय सहयोग से शाला अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी।

सादर,

हस्ताक्षर

(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम शिक्षक

तथा पदेन सदस्य सचिव,

शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति में निर्वाचित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रति शाला रिकार्ड में संधारित की जायेगी।)

Handwritten signature

"परिशिष्ट-4"

स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद/पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु
सूचना पत्र

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला

ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- ज़िला-----

क्रमांक

स्थान, दिनांक.....

प्रति,

सुश्री/श्री

माननीय पार्षद/पंच

वार्ड.....

विषय :-वार्ड की प्राथमिक/माध्यमिक / कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला की
शाला प्रबंधन समिति में सदस्य होने की सूचना संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) के तहत "नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, उस वार्ड का पंच, जिसमें कि स्कूल स्थित है", स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे।

उक्तानुसार शाला से संबंधित वार्ड के माननीय पार्षद/पंच के रूप में आप शाला की प्रबंधन समिति में पदेन सदस्य हैं। आप के सक्रिय एवं मार्गदर्शी सहयोग से शाला अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी।

सादर,

हस्ताक्षर

(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा स्थानीय वार्ड के मा. पार्षद/मा. पंच महोदय को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा। जिन स्थानीय निकायों में वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद रिक्त हैं, उन स्थानों की शालाओं में, इस बिन्दु से संबंधित कार्यवाही उक्त पदों की विधि सम्मत पूर्ति उपरांत की जायेगी।)

“परिशिष्ट- 5”

शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद/पंच महोदय के मनोनयन किये जाने हेतु, स्थानीय निकाय के माननीय महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु पत्र प्रारूप

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- जिला- -----

क्रमांक

स्थान, दिनांक.....

प्रति,

सुश्री/श्री

माननीय महापौर/अध्यक्ष/सरपंच

नगर/ग्राम

विषय :-वार्ड की प्राथमिक/माध्यमिक / कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में एक महिला पार्षद/पंच का मनोनयन संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) के तहत “नगरीय क्षेत्रों में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच, जिसमें कि स्कूल स्थित है” “स्कूल प्रबंधन समिति” के सदस्य होंगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि, ये पार्षद/पंच स्कूल से संबंधित वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड के हों, क्योंकि, स्थानीय वार्ड के पार्षद/पंच पूर्व से ही शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मनोनीत हैं।

अतः कृपया उक्तानुसार प्राथमिक/माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में, सदस्य के रूप में एक माननीय महिला पार्षद/पंच को सदस्य मनोनीत करने का कष्ट करें।

सादर,

हस्ताक्षर
(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित 14/09/2021 के पूर्व तक लिखा जाएगा। जिससे यथासंभव 22/09/2021 तक उनके द्वारा मनोनयन किया जा सके। जिन स्थानीय निकायों में वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद रिक्त हैं, उन स्थानों की शालाओं में इस बिन्दु से संबंधित कार्यवाही उक्त पदों की विधि सम्मत पूर्ति उपरांत की जायेगी।)

"परिशिष्ट-5-अ"

स्थानीय निकाय के माननीय, महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय द्वारा शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद/पंच महोदय का नामांकन प्रपत्र

(यह प्रपत्र माननीय, महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय द्वारा अपने लेटरहेड पर टंकित करवाकर पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। वे किसी एक महिला पंच/पार्षद को एक से अधिक स्कूलों की समिति में सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में पुरुष पार्षद/पंच का मनोनयन नहीं किया जा सकेगा)

प्रति,

प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक एवं
पदेन सदस्य सचिव, शाला प्रबंधन समिति
प्राथमिक/माध्यमिक /संयुक्त माध्यमिक शाला
ग्राम/वार्ड.....

विषय :-वार्ड की प्राथमिक/माध्यमिक / कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में एक महिला पार्षद/पंच का मनोनयन संबंधी।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको संदर्भित पत्र के तारतम्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) के अंतर्गत वार्ड..... की प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में, सुश्री/श्रीमती..... माननीय पंच/पार्षद, वार्ड..... को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

हस्ता.

(नाम)

महापौर/अध्यक्ष/सरपंच

प्रतिलिपि :-

-सुश्री/श्रीमती माननीय पंच/पार्षद, वार्ड क्र.....की ओर सूचनार्थ एवं अग्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता.

(नाम)

महापौर/अध्यक्ष/सरपंच

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (जिन स्थानीय निकायों में वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद रिक्त हैं, उन स्थानों की शालाओं में, इस बिन्दु से संबंधित कार्यवाही उक्त पदों की विधि सम्मत पूर्ति उपरांत की जायेगी।)

शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक का नामांकन प्रपत्र

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- जिला-----

क्रमांक
प्रति,

स्थान, दिनांक.....

सुश्री/श्रीमती
वरिष्ठतम् महिला शिक्षक
शालावार्ड.....
नगर/ग्राम.....

विषय :-वार्ड की प्राथमिक/माध्यमिक / कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में मनोनयन संबंधी।

प्रिय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) के तहत शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक "स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य होंगी।

उपरोक्तानुसार आपको शाला प्रबंधन समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(स्थान, दिनांक)

सादर,

हस्ताक्षर
(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम् शिक्षक द्वारा शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप

अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम

वर्ग(वंचित समूह./कमजोर वर्ग/अन्य).....

पूरा पता

अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने वाले सदस्य का नामहस्ताक्षर.....

प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का नाम हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :-

मैं, एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मैं, प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शालाप्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी का/की इच्छुक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ/हुई, तो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा करूंगा/करुंगी।

(स्थान, दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

- जो लागू न हो उसे काट दें



शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला

ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- जिला-----

क्रमांक
प्रति,

स्थान, दिनांक.....

प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में श्री/श्रीमती को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

हस्ताक्षर

(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक एवं
पदेन सदस्य सचिव, तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी, शाला
प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें
- नोट : (यह शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक एवं पदेन सदस्य सचिव तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी, शाला प्रबंधन समिति द्वारा अपने नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जायेगा। इसकी एक प्रति निर्वाचित अध्यक्ष को दी जाकर एक प्रति शाला के रिकार्ड में संधारित की जायेगी)



शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप

अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम

वर्ग(वंचित समूह./कमजोर वर्ग/अन्य).....

पूरा पता

अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने वाले सदस्य का नामहस्ताक्षर.....

प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का नाम हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :-

मैं, एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मैं, प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शालाप्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी का/की इच्छुक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ/हुई तो शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करूंगा/करूंगी।

(स्थान, दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

- जो लागू न हो उसे काट दें



शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला/कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला
ग्राम/वार्ड.....विकासखंड----- जिला-----

क्रमांक
प्रति,

स्थान, दिनांक.....

प्राथमिक/माध्यमिक/संयुक्त माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति के
उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में श्री/श्रीमती को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

हस्ताक्षर

(नाम)

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक एवं
पदेन सदस्य सचिव, तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी,
शाला प्रबंधन समिति

- जो लागू न हो उसे काट दें
- नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक एवं पदेन सदस्य सचिव तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी, शाला प्रबंधन समिति द्वारा अपने नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जायेगा। इसकी एक प्रति निर्वाचित अध्यक्ष को दी जाकर एक प्रति शाला के रिकार्ड में संधारित की जायेगी)



शाला.....जन शिक्षा केन्द्रविकासखण्ड.....जिला.....

शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी

शाला(शाला का नाम) में नियमानुसार शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। गठन की कार्यवाही पर्यवेक्षक श्री/सुश्री पद..... की उपस्थिति में की गई। गठन के दौरान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया तथा इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

शाला प्रबंधन समिति में पालकों/अभिभावकों के चयन के साथ गठन संपन्न हुआ (हां/नहीं)	स्थानीय पंच/पार्षद का मनोनयन किया गया (हां/नहीं)	महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा एक महिला पंच/पार्षद का मनोनयन हुआ (हां/नहीं)	अध्यक्ष का चुनाव हुआ (हां/नहीं)	उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ (हां/नहीं)

	नाम	आयु	वंचित समूह/कमजोर वर्ग/अन्य	महिला/पुरुष	मोबाइल नम्बर (यदि हो)
अध्यक्ष					
उपाध्यक्ष					
स्थानीय वार्ड का पंच/पार्षद					
महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच/पार्षद					

हस्ताक्षर
सचिव
(शाला प्रबंधन समिति)
नाम—

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक
(पदनाम)
नाम—

स्थान, दिनांक

नोट — शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन के दिन ही शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी की तीन प्रतियां सचिव द्वारा तैयार की जाएं। एक प्रति शाला में रखी जाए तथा एक-एक प्रति जनशिक्षक और पर्यवेक्षक (नियुक्त होने की स्थिति में) को दी जाए।

जन शिक्षा केन्द्र विकासखण्ड जिला

शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नहीं हो सका
प्राथमिक शाला					
माध्यमिक शाला					
कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला					

हस्ताक्षर

जनशिक्षक/जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी

(स्थान, दिनांक.....)

नोट: यह प्रपत्र जन शिक्षा केन्द्र द्वारा शालाओं से परिशिष्ट-11 में प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर, हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में जनपद शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।



जनपद शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड.....जिला.....

शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नहीं हो सका
प्राथमिक शाला					
माध्यमिक शाला					
कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला					

हस्ताक्षर

विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक/
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

(स्थान, दिनांक.....)

नोट: यह प्रपत्र विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र द्वारा जन शिक्षा केन्द्रों से परिशिष्ट-12 में प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर, हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला शिक्षा केन्द्र, जिला.....
शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नहीं हो सका
प्राथमिक शाला					
माध्यमिक शाला					
कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शाला					

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
जिला

(स्थान, दिनांक.....)

नोट: यह प्रपत्र जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा विकासखण्ड स्त्रोंत केन्द्रों से परिशिष्ट-13 में प्राप्त जानकारी के आधार पर, लेटर पेड पर तैयार कर, मीडिया प्रकोष्ठ, राज्य शिक्षा केन्द्र को हार्ड प्रति में डाक द्वारा एवं सॉफ्ट प्रति में ई-मेल ssamp_media@rediffmail.com पर भी निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा।

